न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः–253/2022
जी सी एम एस न0 2022/1040

दर्ज दिनांक 12.12.2022
निर्णय दिनांक 23.01.2023

बिरजू पुत्र भागला जाति मीणा निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील उदयुपरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.

आवेदक

बनाम

1. नौरंग पुत्र पूर्ण
2. महेन्द्र पुत्र पूर्ण
3. सन्तोष कुमार पुत्र पूर्ण
4. सुलोचना पुत्री पूर्ण
5. परमेश्वरी देवी पत्नी पूर्ण
6. भोमाराम पुत्र सोनिया

समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम जोधपुरा तहसील उदयुपरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.

7. भूमि धारक तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अनावेदकगण

<u>प्रार्थना–पत्र अस्थाई व्यादेश</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 23.01.2023

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आश्य का पेश किया है कि आवेदक ने एक उनवानी प्रकरण बिरजू बनाम नौरंग आदि न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त दावा बहुत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पूरी–पुरी आशा एंव विश्वास है। प्रस्तुत प्रकरण के साथ में एक प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश उनवानी बिरजू नाम नौरंग आदि मुकदमा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश का पेश किया कि ग्राम जोधपुरा पटवार हल्का जोधपुरा के वर्तमान भूमि खसरा न. 30 रकबा 0.40 है0, खसरा न. 31 रकबा 0.46 है0, खसरा न. 42 रकबा 0.77 है0, खसरा न. 46 रकबा 0.77 है0, खसरा न. 48 रकबा 0.55 है0, खसरा न. 744/148 रकबा 0.10 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 3.05 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में आवेदक हिस्सा 1/4 तथा अनावेदक संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 1/4 तथा अनावेदक संख्या 6 व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 का हिस्सा 1/2 हैं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार है। आवेदक एवं अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 ने अपने हिस्सेनुसार बाहमी बंटवारा कर काश्त करते चले आ रहे है राजस्व रिकॉर्ड शामलाती होने के कारण आवेदक अपने हिस्से की भूमि का किस्म रूपान्तरण नहीं करवा सकता इसलिए आवेदक अपने हिस्से की भूमि का कब्जा अनुसार व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार विधिवत विभाजना करवाना चाहता है इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि में खातेदार चम्पा देवी पत्नी सोनिया फौत हो चुकी है, जिसके निकटतम वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 है। राजस्व रिकॉर्ड में चम्पा देवी का हिस्सा 1/10 दर्ज है सीताराम पुत्र सोनाराम फौत हो चुका है जिसके निकटतम वारिसान प्रतिवादी संख्या 10/1 लगायत 10/4 है जिनके वारिसानों को वादपत्र में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। भूमि खसरा न. 744/148 व खसरा न. 31 की सीमा पर सटकर एक मुख्य रास्ता गुजरता है खसरा न. 744/148 तथा खसरा न. 31 पर आवेदक का कब्जा काश्त [illegible] काश्त के विपरीत जाकर अनावेदकगण 1 लगायत 6 शामलाती राजस्व रिकॉर्ड की आड [illegible] आवेदक के हिस्से की भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को बेचान कर अवैध कब्जा करवाने को आमादा है। इसलिए अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना [illegible] है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] निवेदन है कि अनावेदकगण को अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] कि वाके काम जोधुपरा [illegible] हल्का जोधपुरा के वर्तमान भूमि खसरा न. 30 रकबा 0.40 है0, खसरा न. 31 रकबा 0.46 है0, खसरा न. 42 रकबा 0.77 है0, खसरा न. 46 रकबा 0.77 है0, खसरा न. 48 रकबा 0.55 है0, खसरा न. 744/148 रकबा 0.10 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 3.05 है0 पैत्रिक भूमि में शामलाती राजस्व रिकॉर्ड की आड़ मे दीगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:46:50 IST
Reason: SelfAttested

व्यक्ति को बेचान नहीं करें तथा बिना किसी विधिवत प्रकिया के कोई नया रास्ता कायम नहीं करे तथा आवेदक के कब्जे काश्त में कोई दखलअन्दाजी पैदा नहीं करे। तादौराने मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 बावजूद तामिल हाजीर नही अत इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

बहस प्रार्थना–पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि आवेदक व अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 की पैत्रिक भूमि है। कब्जे के विपरीत जाकर अनावेदकगण 1 लगायत 6 शामलाती राजस्व रिकार्ड की आड में आवेदक के हिस्से की भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को बेचान करने व अवैध कब्जा करने पर आमादा है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का दावा इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकुक के संबंध में निर्णय तो दावे के विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। विवादग्रस्त भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमाबाजी व विवाद नहीं बढे इसके लिए अनावेदिकागण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम जोधपुरा पटवार हल्का जोधपुरा के वर्तमान भूमि खसरा न0 30, 31, 42, 46, 48, 744/148 कुल किता 6 कुल रकबा 3.05 है0 में अनावेदकगण मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे।

23/1/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक को 23.01.2023 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/1/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:46:50 IST
Reason: SelfAttested